सं. ई-11012/1/2021-हिन्दी/ 347

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901 (द), सेवा भवन, आर के पुरम,
नई दिल्ली - 110066

दिनांक 25 अक्तूबर, 2023

विषय: केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में पखवाड़ा-2023 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा दिये गए निदेशों के अनुपालन के संबंध में।

केंद्रीय जल आयोग (मु) में दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 **पखवाड़ा-2023 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह** में **अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (मु.)** ने अपने सम्बोधन में, आयोग में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया तथा सभी सरकारी कामकाज शत-प्रतिशत राजभाषा हिन्दी में करने का निदेश दिया है। इसके साथ ही, उन्होने **01 नवंबर से 15 नवंबर 2023 तक** केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों/ निदेशालयों/ स्कंधों द्वारा हिन्दी किए गए कार्यों की सूचना एकत्र कर समीक्षा करने का भी निदेश दिया है।

तदनुसार, मांगी गई सूचना निर्धारित प्रोफ़ार्मा (संलग्न) में विधिवत भरकर हिन्दी अनुभाग के ईमेल पता hindisec-cwc@gov.in पर **20 नवम्बर 2023** तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि किए गए कार्यों की समीक्षा यथासमय की जा सके।

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 'क','ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ क्रमशः 100%,100% और 65% पत्राचार हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है तथा 75% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जानी अपेक्षित हैं।

अतः, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों/निदेशालयों/स्कंधों के अधिकारियों/ कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया माननीय अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय के निदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

25/10/2023

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (रा.भा.)

<u>केंद्रीय जल आयोग के सभी अनुभाग/निदेशालय/स्कंध</u>

सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव

केंद्रीय जल आयोग)मुख्यालय (के अनुभागों/निदेशालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट

01 नवंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक

कार्यालय का नाम और पूरा पता : ....

....

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या : __________
(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की : __________
(ग) केवल हिन्दी में जारी किये गये : __________
(घ) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये : __________

2. हिंदी में प्राप्त पत्र [राजभाषा नियम - 5 (लक्ष्य 100%)]

[राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।]

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या : __________
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए : __________
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए : __________
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे : __________

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या =3+4+5	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिन्दी में उत्तरित पत्रों का प्रतिशत =3x100/(2-5)
1	2	3	4	5	6
'क' क्षेत्र से					
'ख' क्षेत्र से					

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा :-

क्षेत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या =2+3	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत =2x100/4	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =5-6	
						वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
'क' क्षेत्र को							
'ख' क्षेत्र को							
'ग' क्षेत्र को							

5. फाइलों/दस्तावेजों पर तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	अंग्रेज़ी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	कुल टिप्पणियों की संख्या =1+2	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत =1x100/3	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =4-5	
					वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पदनाम : ____________

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर : ____________